BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 03 दिसम्बर, 2024 **थाना कोतवाली नगर**

अन्तर्राज्यीय अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जें से 06 अवैध पिस्टल व चोरी की 01 बाइक बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 02/03-12-2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बलीपुरा नगर के पास से अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को 04 अवैध पिस्टल व चोरी की एक बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर 02 अन्य अभियुक्तों को ब्लाक से आगे खन्डहर के पास आम के पेड़ के नीचे से 02 अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1083/24 धारा 3/5/25/27 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. चेतन स्वरुप उर्फ सोनू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कपूरा थाना चन्दपा जनपद हाथरस।
2. प्रवीण कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम नगलादेव थाना गोण्डा जनपद अलीगढ़।
3. आसीन पुत्र सुरेन्द्र निवासी रितौली थाना शिवाजी कालोनी जनपद रोहतक (हरियाणा)
4. कार्तिक पुत्र राजेश कुमार निवासी फौजी कालोनी थाना शिवाजी कालोनी जनपद रोतक (हरियाणा)

बरामदगी-

1- 06 पिस्टल 32 बोर

2- 01 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नम्बर (चोरी की) (सही नम्बर- UP-13BW-8441)

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर काम करते है। हमारा एक साथी जो कि फरार है मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वह मध्य प्रदेश से पिस्टल लाकर हमारे एक दूसरे फरार साथी जो मथुरा का रहने वाला है, को देता था, जो पिस्टलो की सप्लाई करता था। वही हम लोगो को एक बार मे 05 से 10 की संख्या में पिस्टल देता है जिसको हम लोग हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र के नोएडा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ आदि जनपदों मे महँगे दामो पर सप्लाई करते है। अब तक हमारे दोनो साथी हमको लगभग 100 पिस्टल मध्य प्रदेश से लाकर दिये है जो हमने विभिन्न व्यक्तियो को महँगे दामो मे बेच दिये है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त बरामद मोटरसाइकिल को थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से चोरी किया गया था जिसके संबंध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 313/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण का यह एक संगठित गिरोह है जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्तों के दोनो फरार साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त चेतन स्वरुप उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास –

1. मुअसं- 69/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चन्दपा जनपद हाथरस।
2. मुअसं- 258/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुरसान जनपद हाथरस।
3. मुअसं- 262/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुरसान जनपद हाथरस।
4. मुअसं- 06/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मुरसान जनपद हाथरस।
5. मुअसं- 95/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मुरसान जनपद हाथरस।
6. मुअसं- 313/24 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 1083/24 धारा 317(5) बीएनएस व 3/5/25/27 धारा कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त चेतन स्वरुप उर्फ सोनू, असीन व कार्तिक का आपराधिक इतिहास –

1. मुअसं- 313/24 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 1083/24 धारा 317(5) बीएनएस व 3/5/25/27 धारा कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
2. उ0नि0 मोहसिन अहमद, उ0नि0 दर्पण चौधरी, उ0नि0यू0टी0 लोकेश कुमार
3. है0का0 मोहित सैनी, है0का0 कपिल कुमार, है0का0 मोहित कुमार, है0का0 कुलदीप राठी

मीडिया सेल बुलंदशहर